# राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**न्यायालय सं0–7**

**उपस्थित– माननीय श्री आनन्द कुमार सिंह, सदस्य (प्रशासकीय)**

**निर्देश याचिका संख्या–884 / 2023**

**विष्णु करण यादव**, आयु लगभग 33 वर्ष, पुत्र श्री शिव करन यादव, निवासी ग्राम–खैर, पोस्ट–भमई, थाना–सिसोलर, जिला हमीरपुर, उ0 प्र0।

**याची।**

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0 प्र0 शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला–बाराबंकी।

**विपक्षीगण।**

**श्री जीत प्रताप शुक्ला, विद्वान् अधिवक्ता, वास्ते याची**
**श्री सुरेश सिंह,विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, वास्ते विपक्षीगण**

## निर्णय

**(द्वारा माननीय श्री आनन्द कुमार सिंह, सदस्य (प्रशासकीय)**

1. प्रस्तुत निर्देश याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अन्तर्गत योजित की गई है, जिसमें याची द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी (विपक्षी संख्या–4) द्वारा पारित परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्डादेश दिनांकित 16.02.2022 (संलग्नक–1), पुलिस उप महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या (विपक्षी सं.–3) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित–17.09.2022 (संलग्नक–2) तथा अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(विपक्षी सं.–2) द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 20.02.2023 (संलग्नक–3) को चुनौती देते हुए निम्नलिखित अनुतोष याचित किए गए हैं–

> **"(i). The Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to quash impugned punishment order dated 16.02.2022, appellate order dated 17.09.2022 and revisional order dated 20.02.2023 (Contained as Annexre No. 1, 2 and 3 to this claim petition) with all consequential benefit, in the interest of Justice.**
>
> **(ii). The Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to pass any order or direction which it deems just and proper in the circumstances of the matter alongwith the cost of the claim petition in the interest of justice. "**

2. उपर्युक्त अनुतोष इस आधार पर याचित किए गए हैं कि दिनांक 16.02.2022 का आक्षेपित दण्डादेश, अकारण एवं अमुखरित है; अपीलीय एवं पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा भी इन तथ्यों कारणों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है; याची को इस मामले में खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका नहीं दिया गया; दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी ने निष्पक्ष सोच के साथ उसके जवाब पर भी विचार नहीं किया; उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट रैंक्स (पनिशमेंट एंड अपील) रूल्स, 1991 के नियम–4(1) के अनुसार, कोई भी दण्ड केवल ठोस और पर्याप्त कारणों से ही दी जा सकती है; प्रश्नगत मामले में दण्डाधिकारी ने दण्डादेश में कोई ठोस और पर्याप्त कारण नहीं बताया है; इसलिए, आक्षेपित दण्डादेश कानून की दृष्टि में स्थिर रहने योग्य नहीं है।

3. याचिका के अनुसार याची का संक्षेप में कथन है कि वर्ष 2020 में जब वह थाना मोहम्मदपुरखाला बाराबंकी में आरक्षी ना०पु० के पद पर नियुक्त था तब दिनांक 20.09.2020 को याची द्वारा अपनी पत्नी आरक्षी रागिनी यादव के साथ थाना परिसर में

मारपीट एवं दुर्व्यवहार व अपशब्दों आदि का प्रयोग किये जाने की जांच कराये जाने पर याची को जांच अधिकारी द्वारा दोषी ठहराये जाने के दृष्टिगत विपक्षी संख्या–4 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांकित 21.12.2021 याची को प्राप्त कराई गई, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2) के अंतर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया। याची ने उक्त कारण बताओ नोटिस का विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुत कर सभी आरोपों का स्पष्ट खण्डन किया, तथापि उसके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किए, विपक्षी संख्या–4 ने दिनांक 16.02.2022 को परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्डादेश पारित कर दिया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण को अपीलीय एवं पुनरीक्षण अधिकारियों ने क्रमशः आदेश दिनांक 17.09.2022 एवं 20.02. 2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया। इन्हीं आदेशों को विधि–विरुद्ध, बताते हुए याची द्वारा वर्तमान निर्देश याचिका योजित की गई है। याची द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्न न्यायिक विधियों का भी उल्लेख किया गया है।

4. विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित विवेचन/प्रतिशपथपत्र में निर्देश याचिका का प्रतिवाद करते हुए अभिकथित किया गया है कि याची के विरुद्ध पारित परिनिन्दा प्रविष्टि संबंधी दण्डादेश दिनांकित 16.02.2022, अपीलीय आदेश दिनांकित 17.09.2022 तथा पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 20.02.2023 पूर्णतः विधिसम्मत, सकारण एवं मुखरित हैं। उनके अनुसार, याची जब वर्ष 2020 में थाना मोहम्मदपुरखाला बाराबंकी में आरक्षी ना०पु० के पद पर नियुक्त थे तब दिनांक 20.09.2020 को अपनी पत्नी रागिनी यादव के साथ थाना परिसर में मारपीट एवं दुर्व्यवहार व अपशब्दों आदि का प्रयोग किया गया। याची के उक्त कृत्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई, याची का यह कृत्य याची के कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं दुराचरण का परिचायक पाये जाने के दृष्टिगत याची को दिनांक 21.12.2021 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध

अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आलोक में सम्यक विचार करने के पश्चात् दण्डाधिकारी ने स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विस्तृत कारणों सहित दिनांक 16.02.2022 को परिनिन्दा का दण्ड अधिरोपित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध याची द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पुनरीक्षण पर भी अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारियों ने विचार कर अपील एवं पुनरीक्षण निरस्त कर दी। अतः आक्षेपित तीनों आदेश विधिसम्मत, कारणयुक्त एवं प्राकृतिक न्याय के अनुरूप पारित किए गए हैं तथा उनमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है।

5. विपक्षीगण का अग्रतर यह भी कथन है कि याची द्वारा उद्धृत न्यायिक निर्णय वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते। उनके अनुसार, विवादित दण्डादेश उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री एवं प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है तथा उसमें किसी प्रकार की विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। यह भी कहा गया है कि याची अपने विरुद्ध पारित आदेशों में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन अथवा किसी विधिक दोष को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः निर्देश याचिका को सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. याची ने प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत कर लिखित कथन में किए गए अभिकथनों का खण्डन किया तथा निर्देश याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अध्ययन एवं अनुशीलन किया गया।

8. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2) के अन्तर्गत दिनांक 21.12.2021 को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई, जिसमें निम्नलिखित आरोप अंकित किया गया था—

> **"वर्ष 2020 में जब याची थाना मोहम्मदपुरखाला बाराबंकी में आरक्षी ना०पु० के पद पर नियुक्त थे तब दिनांक**

> 20.09.2020 थाना मोहम्मदपुरखाला में गणना के उपरान्त अचानक इनके द्वारा अपनी पत्नी आरक्षी रागिनी यादव के साथ थाना परिसर में मारपीट एवं दुर्व्यवहार व अपशब्दों आदि का प्रयोग किया गया, इनको थाने को अन्य कर्मचारीगणों द्वारा समझाने बुझाने के प्रयास किये गये, किन्तु इनके द्वारा सुलह हेतु तैयार नही हुये आपके उक्त अमर्यादित आचरण, अनुशासनहीनता से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुयी, इनका यह कृत्य इनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं दुराचरण का परिचायक है। जिसकी परिनिन्दा की जाती है।''

याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया; तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2022 को परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्डादेश (संलग्नक–1) पारित किया गया तथा उसके विरुद्ध प्रस्तुत विभागीय अपील एवं पुनरीक्षण को भी कमशः आदेश दिनांक 17.09.2022 (संलग्नक–2) व 20.02.2023 (संलग्नक–3) द्वारा निरस्त कर दिए गए। उक्त तीनों आदेशों से क्षुब्ध होकर याची ने वर्तमान निर्देश याचिका योजित की है।

9. याची के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि यह है कि आाक्षेपित दण्डादेश दिनांकित–16.02.2022 (संलग्नक 1), उसकी पुष्टि में पारित अपीलीय आदेश दिनांकित–17.09.2022 (संलग्नक 2) तथा पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 20.02.2023 (संलग्नक 3) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित नहीं किए गए हैं। उनका यह तर्क है कि याची ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.12.2021 के प्रत्युत्तर में तथ्यात्मक एवं विधिक आधारों पर विस्तृत स्पष्टीकरण (संलग्नक–6) प्रस्तुत किया था, उक्त स्पष्टीकरण में याची ने आरोपों का क्रमवार खण्डन करते हुए यह स्पष्ट किया कि दिनांक 20.09.2020 को थाना परिसर में याची व महिला आरक्षी रागिनी यादव से जो कहा सुनी हुई थी वह आरक्षीगण के बीच वाद–विवाद नहीं था, बल्कि वह एक पति–पत्नी के बीच में आपसी नोंक झोंक थी। जिसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों द्वारा बता दिया गया था। पत्नी महिला आरक्षी, रागिनी यादव से प्रार्थी का विवाह दिनांक 08.03.2019 को

पारम्परिक रूप से हुआ था, पत्नी रागिनी यादव से कोई मतभेद नहीं था बल्कि कुछ घर की बातों को लेकर गलतफहमीवश कहा सुनी हो गयी थी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रारम्भिक जांच के दौरान याची के विरूद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपेक्षित साक्ष्य नहीं पाये गये हैं, न ही जांचकर्ता अधिकारी द्वारा याची द्वारा निवेदित तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत् वास्तविक तथ्यों का अन्वेषण करने का ही प्रयास किया गया है बल्कि मात्र प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदपुरखाला के शिकायत को ही स्वतः प्रमाणित उपधारित कर याची के विरूद्ध जांच आख्या प्रस्तुत कर दी गई।

इसके विपरीत विपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने लिखित विवेचन/प्रतिशपथपत्र के आधार पर यह अवधारित किया कि याची के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार सम्पन्न की गई, जिसमें वह दोषी पाया गया। तत्पश्चात नियम 14(2) के अधीन कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसका स्पष्टीकरण उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। फलतः उसके स्पष्टीकरण, उपलब्ध अभिलेखों, प्रारम्भिक जांच आख्या तथा अन्य सामग्री के आधार पर विधिसम्मत रूप से दण्डादेश पारित किया गया। यह भी कहा गया कि अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारियों ने भी अपील एवं पुनरीक्षण में उठाए गए समस्त तथ्यों, प्रारम्भिक जांच आख्या तथा अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त दण्डाधिकारी के निष्कर्षों को सही एवं विधिसम्मत पाते हुए अपील एवं पुनरीक्षण निरस्त की है।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवाद का मूल प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश विधिसम्मत, कारणयुक्त तथा अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित हैं? याची का मुख्य तर्क है कि उसके विस्तृत स्पष्टीकरण, अपील एवं पुनरीक्षण में उठाये गये महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बिन्दुओं पर कोई वास्तविक विचार नहीं किया गया और अमुखरित एवं अकारण आदेश पारित कर दिये गये। याची ने अपने कथन के समर्थन में अनेक न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धृत किया है। ***Union of India v. Mohan Lal Capoor, (1973) 2 SCC 836*** मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है किः

> **"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions."**

अर्थात कारण ही उपलब सामग्री एवं निष्कर्ष के मध्य तार्किक सेतु का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ***G. Vallikumari v. Andhra Education Society, (2010) 2 SCC 497*** मे यह अवधारित किया गया है कि

> **"The requirement of recording reasons by every quasi-judicial or even administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."**

अर्थात कारणयुक्त आदेश प्राकृतिक न्याय का अभिन्न अंग है। याची द्वारा उद्धृत **Kuldeep Singh v. Commissioner of Police, AIR 1999 SC 677** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:

> **"A finding based on no evidence is liable to be interfered with."**

इसी प्रकार **Union of India v. J. Ahmed, (1979) 2 SCC 286** में यह स्पष्ट किया गया है कि:

> **'Misconduct means misconduect arising from ill motive acts of negligence errors on judgments or iccocent mistakes do not constitute such misconduct.'**

10. आक्षेपित दण्डादेश के परीक्षण से परिलक्षित होता है कि दण्डाधिकारी ने याची के विस्तृत स्पष्टीकरण को केवल "**भ्रामक**

**एवं असंतोषजनक होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है"** कहकर अस्वीकार कर दिया, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके किस प्रतिरक्षा बिन्दु को, किस आधार पर अस्वीकार किया गया। विशेष रूप से यह परीक्षण नहीं किया गया कि प्रकरण में याची की कोई लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, दुराचरण आदि न तो प्रमाणित है और न ही याची द्वारा ऐसा कोई कार्य इस प्रकरण में किया गया है कि उसे इस प्रकार से दण्डित किया जाना आवश्यक हो। इन महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बिन्दुओं पर दण्डाधिकारी द्वारा कोई स्वतंत्र, तार्किक एवं कारणयुक्त निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया। फलतः यह स्पष्ट है कि विवादित दण्डादेश याची की मूल प्रतिरक्षा का वास्तविक परीक्षण किए बिना पारित किया गया।

11. अपीलीय आदेश दिनांकित 17.09.2022 एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 20.02.2023 के परीक्षण से भी यह परिलक्षित होता है कि उसमें मूल दण्डादेश के निष्कर्षों की ही पुनरावृत्ति की गई है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी का दायित्व केवल मूल आदेश की पुष्टि करना नहीं, बल्कि अपील एवं पुनरीक्षण में उठाए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु पर स्वतंत्र एवं कारणयुक्त विचार करना है। यदि मूल दण्डादेश स्वयं सकारण एवं मुखरित नहीं है, तो मात्र उसकी पुष्टि कर देने से उस मूल दोष का निराकरण नहीं हो सकता। अतः जब मूल दण्डादेश याची की प्रमुख प्रतिरक्षाओं का समुचित परीक्षण किए बिना पारित पाया गया है, तब उस पर आधारित अपीलीय एवं पुनरीक्षण आदेश भी उसी विधिक दोष से प्रभावित माना जाएगा। इस संदर्भ में विधि का सुस्थापित सिद्धांत "Sublato fundamento cadit opus"पूर्णतः लागू होता है, जिसका अभिप्राय है कि जब आधार ही समाप्त हो जाता है, तो उस पर आधारित संपूर्ण संरचना स्वतः ध्वस्त हो जाती है।

12. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखों, प्रारम्भिक जांच आख्या, याची के स्पष्टीकरण, आक्षेपित दण्डादेश, अपीलीय आदेश तथा पुनरीक्षण आदेश एवं दोनों पक्षों के तर्कों के समग्र परीक्षण से यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दण्डाधिकारी ने याची द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बिन्दुओं एवं प्रारम्भिक जांच में उपलब्ध प्रासंगिक तथ्यों का स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ एवं कारणयुक्त परीक्षण नहीं किया। फलतः आक्षेपित दण्डादेश दिनांकित 16.02.2022 (संलग्नक–1), अपीलीय आदेश दिनांकित

17.09.2022 (संलग्नक–2) तथा पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 20.02.2023 (संलग्नक–3) विधि द्वारा अपेक्षित सकारण एवं मुखरित आदेश की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अतः न्यायहित में तीनों आदेशों में न्यायिक हस्तक्षेप अपेक्षित है, निर्देश याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

14. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त अभिलिखित निष्कर्षों के आलोक में, निर्देश याचिका संख्या 884/2023 निम्नलिखित अनुतोषों सहित स्वीकृत की जाती है—

(i) विपक्षी संख्या–4 द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित 16.02.2022 (संलग्नक–1), विपक्षी सं0–3 द्वारा पारित पारित अपीलीय आदेश दिनांकित–17.09.2022 (संलग्नक–2) तथा विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 20.02.2023 (संलग्नक–3), एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(ii) दण्डादेश दिनांकित–16.02.2022 (संलग्नक–1), के अनुपालन में याची की चरित्र पंजिका में अंकित परिनिन्दा प्रविष्टि को विलोपित किए जाने का निर्देश दिया जाता है तथा यह माना जाएगा कि उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि का याची की सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति अथवा अन्य किसी सेवागत अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कभी उत्पन्न नहीं हुआ।

(iii) याची उक्त आदेशों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप, विधि के अनुसार उपलब्ध समस्त परिणामी सेवा लाभ, यदि अन्यथा देय हो, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(iv) इस आदेश का अनुपालन, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तत किए जाने की तिथि से, तीन माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

15. पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

**(आनन्द कुमार सिंह)**
**सदस्य (प्रशासकीय)**

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

**(आनन्द कुमार सिंह)**
**सदस्य (प्रशासकीय)**

दिनांकः 21.08.2026
विनोद/पी0ए0